न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. लाला पिता हीरा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
2. सोमला पिता गेंदाल डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
3. जयन्ती पिता गेंदाल डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
4. श्रीमती फुलडी पुत्री गेंदाल डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा
5. जगली पुत्री गेंदाल (वास्तविक नाम) वाद में अंकित गलत जगजी पिता गेंदाल डामोर
6. श्रीमती जाजी बेवा पिता गेंदाल डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा
7. हुरमा पिता नाना (वास्तविक नाम) वाद में अंकित गलत नाम हुरमा पिता नाथ डामोर
8. कला पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
9. बालू पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
10. अखमा पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तह0 सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
11. सुजा पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
12. श्रीमती शांति बेवा पूंजा डामोर, नि. लालपुरा डूंका, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
13. श्रीमती नवल बेवा पूंजा डामोर, नि. लालपुरा डूंका, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
14. रमेश पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
15. श्रीमती मणी पत्नी हीरा डामोर, नि. लालपुरा डूंका, तह. सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सोमा पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
2. मंगला पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
3. लाला उर्फ लालसिंह पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा
4. खोमा पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
5. अजुरा पिता पूंजा डामोर, निवासी लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
6. भूमिधारी तहसीलदारत्र सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा –223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा दिनांक 11.02.2021 प्रकरण संख्या 9/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———:::———

निर्णय **दिनांक 12–10–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के निवासी होकर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 2913 व 2914 किता 2 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम डूंका में स्थित है। वादीगण पारिवारिक बंटवारे अनुसार काबिज होकर उनके मकान बने हुए हैं। उक्त आराजियात के साबिक नंबर 2579, 2580 व 2581 किता 3 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा थे, जो वादीगण के पूर्वज कलजी के नाम दर्ज थे, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट भूलवश भूमि वादीगण के पिता पूंजा के नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादीगण के पूर्वज नाना के नाम दर्ज कर दी, जबकि भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज होनी चाहिए। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया बताया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की सिरकती आराजी है, जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी संवत् 2019 में प्रतिवादीगण के पूर्वज नाना के नाम दर्ज थी एवं विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई है। वादीगण ने श्रीमती मणी व रमेश को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि वे खातेदार हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11–02–2021 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–12–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नो इन्ट्रेक्शन प्लीड किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी तथा कोरोना के कारण अपीलान्टगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके। दिनांक 21–11–2021 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मयाद मानी जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। अपने कथन के समर्थन में माननीय सुप्रिम कोर्ट का आदेश प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया एवं माननीय सुप्रिम कोर्ट के आदेश का अवलोकन किया, जिसके अनुसरण में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रमेश व मणी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना मौका रिपोर्ट को रेकार्ड पर लिया गया है। दिनांक 10–02–2011 को पत्रावली जवाबुल जवाब में थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में न तो जवाबुल जवाब पेश हुआ एवं न ही जवाबुल जवाब बन्द किया गया, लेकिन इस ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जबकि इस बाबत् उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2002 से 2011 साबिक आराजी नंबर 2579, 2580 व 2581 रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पूर्वाधिकारी कलजी के नाम दर्ज हैं एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 अनुसार उक्त साबिक आराजी नंबरों से हाल आराजी नंबर 2913 व 2914 बनना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में हाल आराजी नंबर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के नाम विरासत से दर्ज होने चाहिए थे, जबकि सेटलमेन्ट के दौरान उक्त हाल आराजी नंबर 2913 व 2914 प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज कर दिये गये, जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन अनुसार ही निर्णय पारित करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

लाला पिता हीरा डामोर, नि.लालपुरा डूंका, तहसील सीमलवाड़ा व अन्य बनाम **सोमा पिता पूंजा डामोर नि. लालपुरा, तहसील सीमलवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**19 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सीमलवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**11**.....माह.....**02**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**10**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेश जोशी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पैरोकार सरकार**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**10**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.11.09 13:38:15 IST
Reason: SelfAttested